पद ले लिया गया. यह महज़ संयोग है कि जब नियुक्ति का समय आया तो नीति में उपरोक्त सीमा तक परिवर्तन कर दिया गया। हमारा मानना है कि इस बदलाव से याचिकाकर्ता को नुकसान नहीं हो सकता। जहां तक आयु में छूट का सवाल है, यह सर्वमान्य स्थिति है कि पॉलिसी अनुबंध P-1 और P -2 के अनुसार जिन व्यक्तियों का चयन किया गया था, उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन उन्हें आयु में छूट का लाभ दिया गया था। जाहिर है, यदि प्रतिवादी का प्रयास याचिकाकर्ता को वह नौकरी देने से इनकार करना है जो वह वर्तमान मामले में इस आधार पर चाहता है कि वह अधिक उम्र का है, तो उत्तरदाताओं की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

(9) हमने ऊपर जो कहा है, उसके मद्देनजर हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी-बोर्ड को निर्देश देते हैं कि वह याचिकाकर्ता को यथाशीघ्र और अधिमानतः आज से एक महीने के भीतर होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर नियुक्ति की पेशकश करे।

आर.एन.आर

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और एन.के अग्रवाल के समक्ष

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,-अपीलकर्ता

बनाम

कमल @ कमला देवी @ कमला वती और अन्य,—प्रतिवादी

F.A.O. 2462 of 1998

20 मार्च, 1999

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस.एस. 2(16), 2(17) और 10-ड्राइविंग लाइसेंस-'भारी माल वाहन' और 'भारी यात्री मोटर वाहन'-परिभाषित, भेद-दोनों श्रेणियों के लिए निर्धारित पैरामीटर बिना लदे वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए।-कोई वास्तविक नहीं है या वाहनों की दो श्रेणियों के बीच पर्याप्त अंतर, जिसके परिणामस्वरूप 'भारी मोटर वाहन' चलाने का लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर को बस चलाने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है - बीमाकर्ता की अपील खारिज कर दी जाएगी।

निर्धारित किया गया कि धारा 2(16) और (17) में 'भारी माल वाहन' और भारी यात्री मोटर वाहन को अलग-अलग परिभाषित किया गया है। हालाँकि, इन परिभाषाओं के अवलोकन से पता चलता है कि पैरामीटर स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। बुनियादी आवश्यकता यह है कि बिना लदे वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए।

एक बार यह आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों श्रेणियों के वाहनों के बीच कोई वास्तविक और पर्याप्त गुणात्मक अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य घोषित किया जा सकता है।जिस ड्राइवर के पास भारी मोटर वाहन का लाइसेंस है, उसे बस चलाने से रोका जा सकता है।

(पैरा 4)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है कि चालक भारी मोटर वाहन चलाने का हकदार था। चीजों की प्रकृति में इसका संदर्भ 'हल्के मोटर वाहन' के अलावा किसी अन्य वाहन से है। फिर भी अधिनियम की धारा 10(2) के प्रावधान स्पष्ट रूप से "एक निर्दिष्ट विवरण के मोटर वाहन" के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर विचार करते हैं। जबकि 'हल्के मोटर वाहन' के संबंध में एक अलग प्रावधान किया गया है, धारा 10 की उपधारा (2) में 'भारी मोटर' वाहन' और 'भारी यात्री मोटर वाहन' के बीच कोई अंतर नहीं किया
गया है।

(पैरा 4)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है कि हमें यह मानने का कोई आधार नहीं मिला कि याचिकाकर्ता के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था या ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न था।

(पैरा 4)

श्री वी. रामस्वरूप, अपीलकर्ता के वकील

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, (मौखिक)

(1) 24 फरवरी 1996 को बृजनाथ राम स्कूटर से जा रहे थे. उसे एक बस ने टक्कर मार दी थी। वह मौके पर मर गया। उनके कानूनी प्रतिनिधि, अर्थात। विधवा और बच्चों ने दावा याचिका दायर की। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पाया है कि दुर्घटना बस चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। मृतक की उम्र 47 साल थी। वह परिवार को प्रति वर्ष 44,656 रु.रुपये का योगदान दे रहे थे। '11' के गुणक को लागू करते हुए, ट्रिब्यूनल ने मुआवजे का आकलन4,91,216 रुपये पर किया। कंसोर्टियम के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च आदि के लिए 7,000 रुपये दिए गए। इस प्रकार, कुल मिलाकर 4,98,300 रुपये का मुआवजा प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित प्रदान किये गये। यह भी माना गया कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।

(2) फैसले से व्यथित होकर बीमाकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

(3) अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री वी. रामस्वरूप ने तर्क दिया कि बीमा

कंपनी पर मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाला जा सकता था। विद्वान वकील का आग्रह है कि चालक के पास 'भारी मोटर वाहन' का लाइसेंस था। इस प्रकार, वह 'भारी यात्री मोटर वाहन' चलाने का हकदार नहीं था। यह तर्क मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 और 10 के प्रावधानों पर आधारित है। विद्वान वकील का कहना है कि 'भारी मोटर वाहन' अधिनियम के लिए अज्ञात है। ऐसा तभी होता है जब किसी व्यक्ति के पास 'भारी यात्री मोटर वाहन' चलाने का लाइसेंस हो, तभी वह बस चला सकता है। क्या ऐसा है ?

(4) यह निस्संदेह सही है कि अधिनियम विभिन्न प्रकार के वाहनों को परिभाषित करता है। यह भी सच है कि धारा 2(16) और (17) में 'भारी माल वाहन' और 'भारी यात्री मोटर वाहन' को अलग-अलग परिभाषित किया गया है। हालाँकि, इन परिभाषाओं के अवलोकन से पता चलता है कि पैरामीटर स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। बुनियादी आवश्यकता यह है कि बिना लदे वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। एक बार यह आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों श्रेणियों के वाहनों के बीच कोई वास्तविक और पर्याप्त गुणात्मक अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप भारी मोटर वाहन का लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर को बस चलाने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अपीलकर्ता का मामला यह नहीं है कि यह शर्त पूरी नहीं हुई। फिर भी, यह सच है कि अधिनियम 'भारी यात्री मोटर वाहन' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। यह भी सच है कि अधिनियम 'भारी मोटर वाहनों'/ की बात नहीं करता है। जबकि 'फाइट मोटर वाहन' को खंड (21) में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, 'भारी मोटर वाहन' की कोई अलग परिभाषा नहीं दी गई है। इसके बावजूद, यह विवादित नहीं है कि एक सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था, जिसे पूर्व के रूप में रिकॉर्ड पर Ex. R 1 प्रस्तुत किया गया है। इस लाइसेंस के

अनुसार चालक भारी मोटर वाहन चलाने का हकदार था। चीजों की प्रकृति में इसका संदर्भ 'फाइट मोटर वाहन' के अलावा किसी अन्य वाहन से है। फिर भी अधिनियम की धारा 10(2) के प्रावधान स्पष्ट रूप से "एक निर्दिष्ट विवरण के मोटर वाहन" के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर विचार करते हैं। जबकि 'हल्के मोटर वाहन' के संबंध में एक अलग प्रावधान किया गया है, धारा 10 की उपधारा (2) में 'भारी मोटर वाहन' और 'भारी यात्री मोटर वाहन' के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। इसके अलावा, विद्वान वकील ने कहा है ऐसे किसी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि जिस व्यक्ति के पास भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है वह बस चलाने में सक्षम नहीं है। इस स्थिति में हमें यह मानने का कोई आधार नहीं मिलता कि याचिकाकर्ता के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था या ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न था।

(5) श्री रामस्वरूप ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शिंदर कौर और अन्य (1) में डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया है। यह एक ऐसा मामला था जहां एक व्यक्ति को मोटर-कार

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कमल @ कमला देवी @337
कमला वती एवं अन्य (न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता)

चलाने का लाइसेंस दिया गया था। वह ट्रक चलाता था । यह माना गया कि उसके पास ट्रक चलाने का लाइसेंस नहीं था। मौजूदा मामले में ऐसी स्थिति नहीं है.(1) एआईआर 1998 पीबी. और हरियाणा जे.84.

(6) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है.

(7) उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, परिणामस्वरूप, इसे अस्थायी रूप से खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं.

आर.एन.आर

न्यायमूर्ति वीएस अग्रवाल के समक्ष

एम/एस आशीष एंटरप्राइजेज और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

एम/एस कोचर इंडस्ट्रीज और अन्य,-प्रतिवादी

CR. No. 890 of 1998

23 अप्रैल, 1999

हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम, 1973- उप-किराए पर देना - कब्जे में तीसरा व्यक्ति - स्वतंत्र स्वामित्व का दावा करने वाला ऐसा व्यक्ति - मूल किरायेदार किरायेदारी जारी रखने से इनकार कर रहा है - उप-किराए पर देने का अनुमान।

यह निर्धारित किया गया है कि संपत्ति प्रतिवादी नंबर 2 मेसर्स पीयूष आर्ट प्रिंटर्स को दी गई थी। माना जाता है कि, मेसर्स पीयूष आर्ट प्रिंटर्स मुकदमे की संपत्ति में किसी किरायेदारी अधिकार का दावा नहीं करता है। यह याचिकाकर्ता ही हैं जो उसमें किरायेदारी के अधिकार का दावा कर रहे हैं। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता मकान मालिक के किरायेदार नहीं हैं। उनके पक्ष में ऐसी कोई किरायेदारी नहीं बनाई गई थी। एक बार जब कोई तीसरा व्यक्ति स्वतंत्र स्वामित्व का दावा करता है और किरायेदार किसी भी अधिकार का दावा नहीं करता है, तो सबलेटिंग या कब्जे से अलग होने के निष्कर्ष स्पष्ट हैं। यह सर्वमान्य सिद्धांत पर आधारित है कि किरायेदार और तीसरे व्यक्ति के बीच किसी भी समझौते के लिए मकान मालिक अजनबी होगा। तीसरा व्यक्ति उक्त किरायेदार मेसर्स पीयूष आर्ट प्रिंटर्स को बाहर कर स्वतंत्र स्वामित्व स्थापित कर रहा है। एक बार ऐसा होने पर, यह उचित रूप से माना गया कि बेदखली का आधार कि वाद की संपत्ति को उप-किराए पर दे दिया गया है, स्पष्ट रूप से स्थापित है। विद्वान विचारण न्यायालय और विद्वान अपीलीय प्राधिकारी से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई आधार नहीं है।

(पैरा 21)

आई के मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, एमएस कोहली, अधिवक्ता/या याचिकाकर्ताओं के साथ

एलके सिंहल, प्रतिवादियों के वकील